संख्या-236/2016/5324/26-3-2016-10(21)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुरा, गौनर, चौरी-चौरा जनपद-गोरखपुर के विभिन्न नवीन निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-450/स0क0/रा0आ0प0-निर्माण(15)/2016-17, दिनांक 24.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुरा, गौनर, चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के विभिन्न नवीन निर्माण कार्य हेतु लागत रू0-437.52 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वर्ष 2016-17 हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि **रूपया-218.76 लाख (रूपये दो करोड़ अठारह लाख छियत्तर हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-6/2015/ई-8/1320/दस-2015-53/2005, दिनांक-18.11.2015 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण' (सी.एल.डी.एफ.) इकाई, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में निर्धारित दर के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अधिष्ठान व्यय मद में नियमानुसार धनराशि चार्ज होगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के उपरांत तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था 'उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण' (सी.एल.डी.एफ.) इकाई, गोरखपुर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त की जाय एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त प्रायोजना का निर्माण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(6) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रयोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-236/2016/5324(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
5.जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर ।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7.अधिशाषी अभियंता, 'उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण' (सी.एल.डी.एफ.) इकाई, गोरखपुर।
8.निदेशक, एन0आई0सी0।
9.बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10.गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in